(b) whether Government have provided any help to the State Governments in setting up such courts; and

(c) if so, the details thereof and by when such courts are likely to be set up and to what extent the grievances arising out of consumer's interest are likely to be solved?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD AND CIVIL SUPPLIES (SHRI SUKH RAM): (a) Government has urged the States to set up the Consumer Disputes Redressal agencies envisaged under the Consumer production Act, 1986.

(b) and (c) Under the Act, Central Government is responsible for setting up National Consumer Disputes Redressal Commission, which has been set up. The responsibility for setting up Consumer disputes Redressal Commission (State Commission) and the Consumer Disputes Redressal Forums (District Forums) rests with the State Governments/Union Territories. Several States have already set up these bodies, and the Central Government have requested the others to do so early. The Planning Commission has agreed to include 'Consumer Protection', including the implementation of the Consumer Protection Act, 1986, as a Plan item in the Seventh Five Year Plan.

The Consumer Protection Act, 1986 provides simple, speedy and inexpensive redressal to the consumers against defective goods and services, unfair trade practices, etc. The redressal is provided by way of replacement, refund of price, removal of defects, or compensation.

दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने वाले वाणिज्यिक प्रसारणों पर नये सिरे से विचार किया जाना

*91. **श्री कपिल वर्मा :**

श्रीमती वीणा वर्मा :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार दूरदर्शन और आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने वाले वाणिज्यिक प्रसारणों पर नये सिरे से विचार करने के लिए निकट भविष्य में विशेषज्ञों का एक पैनल बनाने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या दूरदर्शन के बढ़ते प्रभाव के कारण फिल्म उद्योग की सत्ता समाप्त हो जाने का खतरा है; और

(ग) क्या सरकार को फिल्म उद्योग से जुड़े व्यक्तियों से केबल टी० वी० के विरुद्ध कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। समिति आकाशवाणी/दूरदर्शन में प्रसारित होने वाले वाणिज्यिक विज्ञापनों की जांच करेगी और विज्ञापनदाताओं की समस्याओं को हल करने के लिए तथा अन्य बातों के साथ-साथ विज्ञापनों से आय बढ़ाने, विज्ञापनों के स्तर को सुधारने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और आकाशवाणी/दूरदर्शन पर वाणिज्यिक विज्ञापनों के लिए कोड के अनुरूप आकाशवाणी/दूरदर्शन के सभी चैनलों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने एवं उपभोक्ताओं के हितों को भी ध्यान में रखते हुए ठोस सिफारिश करेगी। समिति के अध्यक्ष सचिव (सूचना और प्रसारण) होंगे और सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा विज्ञापन उद्योग के प्रमुख संगठनों, बड़े और लघु उद्योगों तथा केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के भी प्रतिनिधि इसके सदस्य होंगे।

(ख) सरकार को फिल्म उद्योग पर टेलीविजन के प्रभाव के किसी वैज्ञानिक अध्ययन की जानकारी नहीं है।

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय को फिल्म उद्योग से "केबल टी०वी०" और "डिश एंटीना" के दुरुपयोग के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मंत्रालय ने फिल्म उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने तथा इन समस्याओं के समाधान के लिये केन्द्रीय/राज्य सरकारों को उपयुक्त सिफारिशें करने के लिये 14 फरवरी, 1989 को एक अन्तरविभागीय समिति का गठन किया है। इस समिति में राज्य सरकारों और फिल्म उद्योग के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। समिति के विचारार्थ विषयों के अनुसार, पायरेसी विरोधी कानून तथा उनका कार्यान्वयन, समिति द्वारा किये जाने वाले अध्ययन का एक मुद्दा होगा।

देश में जाली राशन कार्ड

*92. **श्री अजीत जोगी :**

श्री राम अवधेश सिंह :

क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली और देश के अन्य भागों में हाल में हजारों की तादाद में जाली राशन कार्डों का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इन जाली राशन कार्डों के जारी किये जाने और प्रचलन को रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं तथा इस संबंध में राज्य सरकारों को दिये गये सुझावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या जाली राशन कार्डों के जारी किये जाने और प्रचलन को रोकने हेतु कोई कानून बनाये जाने की संभावना है?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उप मंत्री (श्री डी० एल० बैठा): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा राशन कार्ड स्वयं अपने द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी किये जाते हैं। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिये समय-समय पर जांच करते हैं। नागरिक पूर्ति विभाग ने हाल में उनसे अनुरोध किया है कि वे जाली राशन कार्डों/यूनिटों को छंटाई करने के लिये निरन्तर अभियान चलायें।

दिल्ली में प्रशासन द्वारा बिना शर्त सूचना के चुनी हुई उचित दर की दुकानों के पास दर्ज खाद्य कार्डों की जांच करने के लिये एक योजना बनाई गई थी। इस अभियान के परिणामस्वरूप 62,605 खाद्य कार्डों की जांच हो चुकी है और 14,853 मामलों में संबंधित व्यक्तियों को उन्हें खाद्य कार्ड जारी करते समय दिये गये पतों पर निवास करते नहीं पाया गया। इन मामलों में विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति तत्काल रोक दी गयी।

(ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को ऐसे कदाचारों को रोकने के लिये उपयुक्त नियंत्रण आदेश जारी करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

Revision of Higher floor space Index in Bombay

*93. SHRI CHIMANBHAI MEHTA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Maharashtra Government have recently announced revised higher Floor Space Index for crowded localities including five star hotels, etc. in Bombay;

(b) if so, what are the details thereof;

(c) whether the Central Government had sanctioned the revised FSI scheme of Bombay and if so, what was the advice given by the Central Government while sanctioning the higher FSI;